उर्वरक निगम मे वेतनमानों संबंधी सिफारिशों की क्रियान्विति

4924. **श्री राम नरेश कुशवाह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने वेतनमानों सम्बन्धी सिफारिशों को 1 जनवरी, 1976 से लागू करने का वचन दिया था;

(ख) यदि हां, तो वेतनमानों को अब तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार कब से पुनरीक्षित वेतनमान लागू करेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) जी हां, एफ० सी० आई० और उनके एककों/प्रभागों/कार्यालयों के मान्यता प्राप्त संघों के बीच हुए करार के अनुसरण में उनके मान्यता प्राप्त संघों के परामर्श से कर्मचारियों के लिए नए वेतमान तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो 1-1-1976 से लागू होंगे ।

(ग) इस समय नए वेतनमानों को अन्तिम रूप देने की संभाव्य तिथि बताना कठिन है क्योंकि यह विभिन्न स्रोतों से आंकड़े एकत्र करने, कर्मचारियों के संघों और अन्य संबन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करेगा ।

Proposal for Overbridge at Ranitala

4925. SHRI JENA BAIRAGI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal of constructing an over-bridge at Ranitala Railway Station under South-Eastern Railway (between Kharagpur and Khurda line); and

(b) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) :

(a) There is no proposal for the construction of an over-bridge at this station.

(b) Does not arise.

Railway workers victimised from January 1974 to January 1977 from Khurda Junction to Kharagpur Junction (S. E. Railway)

4926. SHRI JENA BAIRGAGI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) number of Railway Workers of South Eastern Railway working within Khurda Railway Junction to Kharagpur Junction suspended, retrenched, jailed from January 1974 to January 1977; and

(b) whether these workers have been taken back in their respective services and how many of them are not yet taken back?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) :

(a) to (b). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

निर्धनों को कानूनी सहायता

4927. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्धनों को अब किस प्रकार की कानूनी सहायता दी जाती है;

(ख) निर्धनों को कानूनी सहायता दिये जाने विषयक कानून बनने से लेकर अब तक कितने निर्धन व्यक्तियों को, राज्य-वार, कानूनी सहायता दी गई; और

(ग) इस समय कितने निर्धन व्यक्तियों के राज्य-वार, कितने मामले प्रगति पर हैं ?

विधि, न्याय औ कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) सेशन न्यायालयों के समक्ष विचारणों में, ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों